(Ans No 9)

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को मई 2007 में जारी किया गया था। तब से अब तक केवल 12 राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में इसे अधिसूचित किया है एक दशक बाद इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया और वे राज्य जिन्होंने इसके पिछले संस्करण को अपनाया है। इन नए मानदंडों का अनुपालन करने के लिए अपनी अधिसूचनाएं कर रहे हैं।

भवन के प्रमुख घटक जो संहिता के माध्यम से किये जा रहे हैं -

(i) एन्वेलप (वॉल, रूफ, विंडो,

(ii) लाइटिंग प्रणाली,

(iii) एचवीएसी प्रणाली,

(iv) जल तथा पम्पिंग प्रणाली,

(v) इलेक्ट्रिक विद्युत प्रणाली.

ऊर्जा दक्ष भवनों के बाजार को आकर्षित करने हेतु लिए प्रोत्साहन देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के भवनों के लिए सर्वोच्च स्टार रेटिंग का विकास किया है।

वर्तमान के भवनो की चार श्रेणियो स्टार लेबलिंग कार्यक्रम का विकास किया गया है। और इन्हे सार्वजनिक क्षेत्र मे लगाया जाता है।

मई 2017 तथा इसीबीसी मानदण्डो को नौ राज्यो राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक द्वारा अधिसूचित किया गया है।

ECBC की मुख्य विशेषताए :-

(I) विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार ECBC के सफल अनुपालन से जहा एक ओर 2030 तक लगभग 300 ई० की ऊर्जा बचत होगी।

(II) दुसरे शब्दों मे इसे तकरीबन 35000 करोड़ की बचत होगी

(III) भारत मे ECBC को सफलतापूर्वक कार्यान्वित और प्रवर्तन करने मे कई ECBC के उचित की जिमेदारी के साथ-साथ जवाब देहीता मे वृद्धि की जानी चाहिए